प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
छत्तीसगढ़ शासन

विषय :– सामान्य प्रशासन विभाग में संविदा पर पदस्थ सचिव श्री डी.डी. सिंह को हटाये जाने बाबत्।

—00—

आदरणीय,

राज्य प्रशासनिक सेवा संघ आपके संज्ञान में यह विषय लाना चाहता है कि शासन के सबसे महत्वपूर्ण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग जो कि प्रशासन रूपी वृक्ष के मूल के रूप में कार्य करता है, इसकी कमान संविदा पर नियुक्त अधिकारी के हाथों में सौंप दी गई हैं। विगत 04 वर्षों से श्री डी.डी. सिंह, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसमें से विगत 03 वर्षों से सेवानिवृत्ति पश्चात् संविदा में सचिव के रूप में पदस्थ हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा जैसी महत्वपूर्ण सेवा जो कि सम्पूर्ण प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है के विभाग प्रमुख को संविदाकर्मी नहीं होना चाहिए। श्री डी.डी. सिंह के विरूध्द विभिन्न प्रकार की शिकायतें मंत्रालयीन कर्मचारियों एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर संघ के समक्ष प्रकाश में लाई गई है :–

1. राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के आई.ए.एस. अवार्ड किये जाने के प्रकरण में इनके द्वारा 2021 से 16 अधिकारियों की पदोन्नति रोककर रखी गई है।
2. सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत पिछली सरकार में मनमाने ढंग से राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लगातार स्थानांतरण इनके द्वारा किये गये, जिनमें से कुछ मनचाहे अधिकारियों को उनकी मनपसंद पदस्थापना हेतु नियम विरूध्द जाकर एक वर्ष में कई बार स्थानांतरित किया गया। स्थानांतरण में अधिकारियों के साथ इनके द्वारा पूर्ण रूप से पक्षपातपूर्ण रवैया रखा गया।
3. चूंकि श्री डी.डी. सिंह संविदा पर कार्यरत हैं, ये राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन नहीं कर सकते, उसके बाद भी उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं दंड दिये जाने के अधिकार इनको दिये गये हैं, जो कि सही नहीं है।
4. आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात् भी कई आदेश जारी किया जाना, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान एवं आयुक्त, आदिम जाति विभाग हेतु आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद

भी आबंटन जारी किये जाने जैसी गंभीर शिकायतें इनके विरूध्द भारत निर्वाचन आयोग को किये जाने की चर्चा खबरों में रही, जिसकी जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा आचार संहिता हेतु प्रकरणों को भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किये जाने हेतु बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव होने के नाते संविदा पर होने के बाद भी इनके द्वारा कार्य किया गया, जो उचित नहीं है।

5. विगत 11 अक्टूबर 2023 को छ.ग. राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा के शर्तें) नियम 2023 का प्रकाशन इनके द्वारा कराया गया। जिसमें इन्होनें राज्य प्रशासनिक सेवा संघ से न तो विचार विमर्श किया, न ही दावा आपत्ति आमंत्रित की गई।
6. क्रमोन्नति के नियमों में इनके द्वारा पूर्व स्थापित नियमों के विपरीत जाकर पदों की संख्या नियत कर दी गई, जिससे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को क्रमोन्नति में लाभ का अवसर सीमित हो गया।
7. इनके द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित समयावधि बढ़ा दी गई, साथ ही परिवीक्षा अवधि हेतु नियत समयावधि भी बढ़ा दी गई।
8. कतिपय महिला अधिकारियों द्वारा शिकायत की गई है कि इनके द्वारा उन्हें अनावश्यक ही बिना कार्य अपने चेम्बर में अधिक समय तक बिठाकर रखा जाता है, एवं महिला अधिकारी/कर्मचारी के साथ इनका व्यवहार सही नहीं है।
9. संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जब भी इन्हें ज्ञापन दिया गया, उसे इनके द्वारा यह कहते हुये उसे किनारे कर दिया गया कि आलाकमान से आदेशित किये जाने पश्चात् ही कोई सुनवाई होगी।
10. इनके द्वारा पूर्व सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया, पूर्व मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में कार्यरत रहे एवं वर्तमान में भी प्रशासन में आयोग, मंडल आदि में कार्य करने के इच्छुक है।
11. हाल ही में 06.12.2023 को मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के द्वारा, मंत्रालय कैडर के कर्मचारियों की पदोन्नति रोककर रखने एवं सेटअप पुनरीक्षण नहीं होने दिये जाने के कारण, इनका घेराव कर इन्हें कार्य मुक्त करने की मांग की गई है। जिससे कर्मचारियों का इनके विरूध्द रोष साफ झलकता है।

उपरोक्त कारणों से राज्य प्रशासनिक सेवा संघ श्री डी.डी. सिंह को सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद से पृथक किये जाने एवं किसी नियमित शासकीय अधिकारी को पदस्थ किये जाने का अनुरोध करता है।

छ0ग0 राज्य प्रशासनिक सेवा संघ
जिला इकाई – सरगुजा

सचिव

छ.ग. राज्य प्रशासनिक सेवा संघ,
जिला ईकाई सरगुजा
29.12.23

अध्यक्ष

छ.ग. राज्य प्रशासनिक सेवा संघ,
जिला ईकाई सरगुजा
29.12.23

सदस्यगण

Ravi Rahi
29-12-2023